



न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

पालनहार योजना



अनाथ बालक-बालिकाओं के लालन-पालन की व्यवस्था परिवार के भीतर ही करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा
यह योजना शुरू की गई है

पात्रता

- 1 अनाथ बच्चे
- 2 आजीवन कारावास/मृत्युदण्ड भोग रहे माता पिता के बच्चे
- 3 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे
- 4 पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
- 5 एच.आई.वी/एड्स से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
- 6 कुष्ट रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
- 7 नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
- 8 विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
- 9 तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे
- 10 सिलिकोसिस पीड़ित माता/पिता के बच्चे

अनुदान राशि व शर्तें

1. 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे हेतु - 500रु. प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
2. 6-18 वर्ष की आयु के बच्चे हेतु - 1,000रु. प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3. कपड़े, स्वेटर व जूते आदि हेतु - 2,000रु. वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)
4. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से रूपय से अधिक नहीं होनी चाहिए
5. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए
6. आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान मे रह रहे हों

अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 15100, 9928900900